## भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

## मानक चिन्ह लगाने की अनुज्ञप्ति

## Licence for the use of STANDARD MARK

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सं. सीएम/एल

5710036011

LICENCE NO. CM/L -

5710036011

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मेसर्स लाल बाबा सीमलेस टुबेस प्राइवेट लिमिटेड. कश्बेरिअ, बिरधान्यघट, पोस्ट: डेभोग हल्दीए

जिला: पुर्बा मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल, पिन: 722168

को (जिसे इसमें आगे अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में दिखाए गए मानक चिन्ह का उपयोग करने को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करती है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के (लाइसेंस) प्रदान करती है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के दूसरे कॉलम में किया गया है। यह वस्तु/प्रसंस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986(63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

M/s LAL BABA SEAMLESS TUBES PVT LTD Kashberia, Berdhanyaghata, P.O.: Debhog Purba Medinipur Haldia West Bengal PIN: 721657

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

- 2. इस अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के सात ये अधिकार और बाध्यताएं हैं जिनका अनुबंध उक्त अधिनियम के आधीन बनाए गए विनियमों में हैं। अनुज्ञप्तिधारी अपनी बाध्यताओं का अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित चिन्ह लगाने की नित फीस सम्यक् रीति से और नीयत समयपर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को, जिसकी प्रति संलग्न है, ब्यूरों की
- 2. This licence carries the rights and obligations stipulated in the Regulations made under the above mentioned Act. In pursuance of this obligation, the licensee shall pay in due manner and time the scheduled Marking Fee set out in the, Second Schedule hereto and maintain to the satisfaction of the BUREAU the Scheme of Testing and Inspection a copy of which is attached hereto.

3. यह अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)

30 अगस्त 2017

से 29 अगस्त 2018

तक विधिमान्य

रहेगी और विनियमों में विहित

रूप में इसका नवीकरण हो सकेगा।

3. This licence shall be valid from THIRTIETH AUGUST, TWO THOUSAND SEVENTEEN to TWENTY-NINTH AUGUST, TWO THOUSAND EIGHTEEN and may be renewed as prescribed in the Regulations.

आज दो हज़ार सत्रह हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित। के

अगस्त मास के इकतीसवें

दिन

Signed, Sealed and Dated this THIRTY-FIRST day of AUGUST TWO THOUSAND SEVENTEEN

भारतीय मानक ब्यूरो की और से

for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(M.K. GHOSH) Sc. E & Head (DPBO)